

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० ०४/१-१३(१३) H.R.D. देहरादून दिनांक, १३, जुलाई, २०२२

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक १८८ (H.R.D.)/१-१२(H.R.D.) दिनांक २८-०७-२०२१ द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक ०९-०८-२०२१ को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित प्रधान सहायक, वेतनमान ३५,४००-१,१२,४०० लेवल ६ की प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान ४४,९००-१,४२,४०० लेवल ७ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-४ में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	आदेश प्रभावी होने की तिथि
१	२	३	४	५
१	श्री हिम्मत सिंह रजवाड	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी	तत्काल

१. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, २०२० के तहत कार्यवाही की जायेगी।
२. संबंधित कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।
३. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।
४. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

पत्र सं० ८२ (१)/१-१३(१३) H.R.D. तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, देहरादून।
२. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, उत्तराखण्ड पौड़ी।
३. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर।
४. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
५. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
६. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
७. मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
८. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

I. F. G. C.
 ए. क. म. को

२०/७/२२

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF